(2)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023- ....RAAJodhpur2023-125RTA225 Mohammad Kasim Vs Kherdin etc

01. मोहम्मद कासिम पुत्र जमे खॉ, जाति मुसलमान, निवासी- ग्राम देदासरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. खेरदीन पुत्र घमण्डेखॉ जाति मुसलमान, निवासी- ग्राम देदासरी, हाल निवासी- 192 आर.डी. शहीद बीरबलराम शाखा मोहनगढ, तहसील मोहनगढ, जिला जैसलमेर।
02. हनीफ पुत्र इब्राहिम खां
03. मारूफ पुत्र इब्राहिम खां
04. नवाब पुत्र इब्राहिम खां
05. मुसै खां पुत्र इब्राहिम खां
06. बसीर पुत्र इब्राहिम खां

    जातियान् मुसलमान, निवासी- ग्राम देदासरी, हाल निवासी- बरकत कॉलोनी, फलोदी, तहसी व जिला फलोदी।
07. बाई पुत्री इब्राहिम खां पत्नी नवाब खां जाति मुसलमान, निवासी- जालोड़ा, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

रेस्पो.

08. नेमत पत्नी नूरदीन
09. इकबाल पुत्री नूरदीन
10. शोकत अली पुत्र नूरदीन
11. सलीमखां पुत्र नूरदीन
12. इसाक पुत्र सरादीन
13. तालब पुत्र सरादीन
14. इसेखां पुत्र सरादीन
15. सोभेखां पुत्र गुलमोहम्मद
16. महेन्द्रा पुत्र बगदाद
17. जमालदीन पुत्र अजीम खां
18. अली मोहम्मद पुत्र अजीम खां
19. नवाब पुत्र हकीम
20. हसण पुत्र हकीम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

21. अली पुत्र नीजामदीन
22. मोहम्मद पुत्र निजामदीन
23. बसीर पुत्र निजामदीन
सभी जातियान् मुसलमान, निवासी- देदासरी, तहसील बाप, जिला फलोदी।
24. मकसूद मीर मोहम्मद जाति सिंधी मुसलमान, निवासी- ग्राम देदासरी, तहसील बाप, जिला फलोदी।

परफोर्मा रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 28 जून 2018 सहायक कलक्टर बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2013

उपस्थित-
श्री भानू प्रताप, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2, 5, 6
श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8,9,11से 14,17,19से21
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 24

नि र्ण य

दिनांक : 30 अक्टूबर 2024

सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2013 में पारित आदेश दिनांक 28 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक से सात ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 35 रकबा 565 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 31 रकबा 76 बीघा 04 बिस्वा (वर्तमान खसरा नं. 35/352 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नं. 35/358 रकबा 70.04 बीघा, खसरा नं. 35/359 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नं. 31 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 31/357 रकबा 22 बीघा एवं खसरा नं. 31/356

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 28.03 बीघा) ग्राम देदासरी के के संबंध में धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जून 2018 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट गुमानाराम ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। दिनांक 17.12.2019 के जरिये अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील खारिज की गई, जिसके विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल की एकल-पीठ द्वारा निगरानी संख्या 7897/2019 अनवान मोहम्मद कासिम बनाम खैरदीन इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 की पालना में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये सद्भाविक क्रेता एवं रेकर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेंट्स द्वारा रजिस्टर्ड बख्शीनामा एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त करवाये बिना वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/रेकर्डेड खातेदार को सुने बिना तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर विवेचन किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है, इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जून 2018 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्त के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया।

दौराने बहस उभय पक्ष के अधिक्तागण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखते हुए मामला उभय पक्ष की पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किय जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 35/352 रकबा 6.0703 हैक्टेयर का रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर विवेचन किये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना भी न्याय हित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपूरणीय क्षति के बिंदु किसी एक पक्ष के पक्ष में साबित नहीं होकर उभय पक्ष के पक्ष में समान रूप से पाये जाते है।

इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं एकपक्षीय होने से निरस्त किया जाकर मामला दिशा निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया अदालत हाजा की राय में उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2013 में पारित आदेश दिनांक 28 जून 2018 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह समस्त हितबद्ध पक्षकारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के वारिसान् को रेकर्ड पर लेकर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 35/352 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नं. 35/358 रकबा 70.04 बीघा, खसरा नं. 35/359 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नं. 31 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 31/357 रकबा 22 बीघा एवं खसरा नं. 31/356 रकबा 28.03 बीघा ग्राम देदासरी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर